फर्द अहकाम

लो0से0गा0अपील सं0 01/2017 भगवानसहाय गुर्जर बनाम पदाभिहीत अधिकारी तहसीलदार फागी

कार्यवाही/ आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
08.08.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट स्वयं उपस्थित। पदाभिहीत अधिकारी की ओर से कोई उपस्थित नही। अपीलान्ट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी का पूर्व में तहसीलदार, फागी द्वारा सीमाज्ञान कराया गया है, जब सीमाज्ञान कराया जा चुका है तो पत्थरगढी किये जाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। मात्र अपीलान्ट् को हैरान व परेशान करने की नियत से गलत रिपोर्ट भेजी गई है और पत्थरगढी की कार्यवाही को टाला जा रहा है। उप खण्ड अधिकारी, फागी की आज्ञा दिनांक 31.03.2016 द्वारा पत्थरगढी के स्पष्ट आदेश दिये गये है। अपीलान्ट् ने भू–प्रबन्ध विभाग से सीमा निर्धारित किये हुये ख0 न0 119 व 153 वाके ग्राम नोन्दपुरा की शीट तहसीलदार, फागी के समक्ष प्रस्तुत की है और चाहे जाने पर पुनः प्रस्तुत करने को अपीलान्ट तत्पर है परन्तु जानबूझकर टालमटोल किया जा रहा हैं। अतः पत्थरगढी के आदेश दिये जावे व अपीलान्ट् को हैरान व परेशान करने की गरज से पत्थरगढी में टालमटोल किये जाने के लिए दोषियों को दण्ड दिया जावे। हमने अपीलान्ट् की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान कराया गया है और तत्पश्चात् उप खण्ड अधिकारी, फागी की आज्ञा दिनांक 31.03.2016 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 119 व 153 वाके ग्राम नोन्दपुरा पटवार हल्का सेहदरिया में स्थित आराजी पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये है। इस आज्ञा के अनुसरण में तहसीलदार, फागी द्वारा जाहिर किया गया है कि खसरा नम्बर 119 व 153 में नक्शा लट्‌ठा व तहसील की मोमिया शीट में खसरा नम्बर में नक्शा लट्‌ठा व तहसील की मोमिया शीट में खसरा नम्बर के मध्य विभाजक रेखा अंकित नहीं हैं, पत्थरगढी का कार्य खसरा नम्बरों की सीमा निर्धारित नही होने से सम्भव नही है। प्रार्थी यदि सेटलमेन्ट विभाग से सीमा निर्धारित किये हुये खसरा नम्बर 119 व 153 वाके ग्राम नोन्दपुरा की शीट प्रस्तुत करे तो पत्थरगढी की जा सकती है। वादग्रस्त आराजी का राजस्व कारकूनान द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान कराया गया है, प्रथम अपीलीय अधिकारी उप खण्ड अधिकारी, फागी की आज्ञा दिनांक 31.03.2016 द्वारा वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी करने के आदेश दिये गये है, जिसके अनुसरण में तहसीलदार, फागी द्वारा भू–प्रबन्ध विभाग की सर्वे शीट की प्रति उपलब्ध होने पर पत्थरगढी कराया जाना जाहिर किया है। वरवक्त बहस अपीलान्ट् ने सर्वेशीट की प्रति स्वयं के पास होना जाहिर किया है, और तहसील में पुनः पेश करने में कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है। अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट् स्वीकार की जाती है और तहसीलदार, फागी को निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट् द्वारा सर्वेशीट की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किये जाने की दिनांक से 10 योम में नियमानुसार अपीलान्ट् को अन्य सह–खातेदारान् की उपस्थिति में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 119 व 153 की पत्थरगढी की जाकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण किया जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	पत्रांक 2290 30-8